SHODH SAMAGAM
ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

संयुक्त परिवारों का बदलता स्वरूपः निरन्तरता एवं परिवर्तन

प्रियंका मीणा, समाजशास्त्र विभाग (विद्या संबल योजना)
राजकीय कन्या महाविद्यालय, नारायणपुर, कोटपूतली बहरोड, राजस्थान, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
प्रियंका मीणा
E-mail : priyankajorwal1987@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 08/10/2024
Revised on : 08/12/2024
Accepted on : 17/12/2024
Overall Similarity : 02% on 09/12/2024

शोध सार

संयुक्त परिवारों में परिवर्तन के कारण अब ग्रामीण संयुक्त परिवारों में परिवर्तन होने लगा है। अनेक समाजशास्त्री, विचारक व विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से तो ग्रामीण संयुक्त परिवार विघटित नहीं हो रहे हैं, बल्कि आवश्यकता, परिस्थितियों इत्यादि के कारण ये परिवार व्यवस्थापन तथा अनुकूलन कर रहे हैं। विभिन्न कारणों तथा परिस्थितियों के परिणामस्वरूप संयुक्त परिवार परिवर्तित हो रहे हैं। वैसे भी परिवर्तन होना अवश्यम्भावी है लेकिन संयुक्त परिवारों के परिवर्तन की प्रक्रिया नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन कर रही है।

मुख्य शब्द

औद्योगीकरण, संयुक्त परिवार, नगरीयकरण, शिक्षा, संस्कृति, व्यवसाय.

प्रस्तावना

संयुक्त परिवार शब्द में संयुक्तता की धारणा की विभिन्न विद्वानों ने विविध रूप में विवेचना की है। इरावर्ती कर्वे ने संयुक्तता के लिए सह–निवास को आवश्यक माना है तो बी.एन.कोइन, एस.सी.दुबे, हैरोल्ड गूल्ड, पालिन कोलेण्डा व आर. के. मुकर्जी सह–निवास और सह भोजन दोनों को संयुक्तता के आवश्यक तत्व मानते हैं। एफ.जी.बेली, टी. एन. मदन संयुक्त सम्पत्ति स्वामित्व को अधिक महत्त्व देते हैं, भले ही उनके निवास अलग–अलग हों तथा सम्पत्ति में सहस्वामित्व न हो। दायित्व को पूरा करने का अर्थ है अपने को परिवार का सदस्य मानना, वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता देना तथा संयुक्त परिवर के नियमों को मानना।

इरावती कर्वे के अनुसार प्राचीन भारत में परिवार निवास, सम्पत्ति और प्रकार्यों के आधार पर संयुक्त था। उन्होंने ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहा है। कपाड़िया

का मानना है कि हमारा आदि परिवार केवल संयुक्त या पितृसत्तात्मक ही नहीं था, इसके साथ–साथ हमारे परिवार व्यक्तिशः भी होते थे। व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति के बावजूद संयुक्त परिवार की पाँच विशेषताएँ बताई हैं– सह निवास, सह रसोई, सह सम्पत्ति, सह पूजा तथा कोई नातेदारी सम्बन्ध इस प्रकार कर्वे का संयुक्तता का आधार है– आकार, निवास, सम्पत्ति और आमदनी। इस आधार पर उन्होंने संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक ऐसा व्यक्तियों का समूह जो आमतौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही चूल्हे पर पका भोजन करते हैं, साझी सम्पत्ति रखते हैं, परिवार की सहपूजा में भाग लेते हैं तथा एक दूसरे से एक विशेष प्रकार के नातेदारी सम्बन्धों से जुड़े होते हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार सहमति तथा संयुक्त सम्पत्ति शब्दों का अर्थ है कि सभी जीवित स्त्री व पुरुष सदस्य तीन पीढ़ियों तक पैतृक सम्पत्ति के हिस्सेदार होते है तथा सहभागियों की सहमति बिना सम्पत्ति न तो बेची जा सकती है और न ही किसी को दी जा सकती है। इस प्रकार, एक व्यक्ति को अपनी पत्नी, दो पुत्रों, दो पुत्रियों, दो पौत्रों तथा दो पौत्रियों के साथ अपनी सम्पत्ति को अपनी पत्नी व चार बच्च्वों में बराबर बाँटना होगा। पौत्र संतति अपने माता–पिता की सम्पत्ति में से ही हिस्सा लेंगे। पुत्र व पुत्री प्रत्येक की पूर्व मृत्यु पर उनके उत्तरदाधिकारी का एक भाग लेंगे।

आई.पी. देसाई मानते हैं कि सहनिवास तथा सहरसोई को संयुक्त परिवार की परिसीमा के लिए आवश्यक समझना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से संयुक्त परिवार को सामाजिक सम्वन्धों को समुच्चय एवं प्रकार्यात्मक इकाई नहीं माना जायेगा। उनका कहना है कि एक घर के सदस्यों के साथ बीच के आपसी सम्बन्धों तथा अन्य घरों के सदस्यों के साथ सम्बन्धों पर ही परिवार के प्रकार का निर्धारण किया जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध पत्र का उद्देश्य संयुक्त परिवारों के बदलते स्वरूप व संयुक्त परिवारों के विघटन का विश्लेषण करना है।

शोध विधि व आंकड़ों का संग्रहण

संयुक्त परिवारों का बदलता स्वरूप निरन्तरता एवं परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक आंकडों को लिया गया है। आंकडों को एकत्रित करने के लिए समाचार पत्रों, पत्र–पत्रिकाओं, जर्नल आदि का उपयोग किया गया है।

संयुक्त परिवारों में परिवर्तन के कारण

- **औद्योगीकरणः** परम्परागत संयुक्त परिवार ग्रामीण समाज की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। ए.आर. देसाई का मानना है कि 'हलीय कृषि' पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवारों को प्रोत्साहन देती है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया के कारण आज अनेक सामाजिक संस्थाएँ प्रभावित हो रही हैं। औद्योगिक क्रान्ति के कारण मानव–समाज में अनेक बदलाव आये हैं। संयुक्त परिवार धीरे–धीर विघटित होते जा रहे हैं तथा एकाकी परिवार उनका स्थान लेते जा रहे हैं। पहले ग्रामीण संयुक्त परिवार उत्पादन व उपभोग की इकाई था, परन्तु अब वह केवल उपभोग की इकाई बन गया है। गाँवों में परम्परागत कुटीर उद्योग चौपट हो गये। गाँव के लोगों को काम की तलाश में शहरों आना पड़ा। बाद में ये लोग गाँव से अपनी पत्नी व बच्चों को ले आये। परम्परागत व्यवसाय बंद हो गये तथा लोगों को कारखानों में काम करना पड़ा। यातायात व संचार के साधनों के कारण लोग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना–जाना, सन्देश भेजना आसान हो गया। वस्तु–विनिमय स्थान पर नकद मुद्रा से विनिमय होने लगा। सीमित आय के कारण स्त्रियों को भी कारखानों काम करना पड़ा। इन सबका प्रभाव ग्रामीण संयुक्त परिवारों पर पड़ा। गाँवों के संयुक्त परिवार कम हो गये तथा शहरों में एकाकी परिवार बनने लगे। नकद मुद्रा में विनिमय होने लगा है।
- **नगरीकरणः** नगरों का वातावरण स्वतंत्र व सुविधापूर्ण होता है। नगरों में शिक्षा, शास्थ्य, रोजगार, यातायात, उच्च जीवन स्तर की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं इसलिए लोग नगरों में बहना ज्यादा पसन्द करते हैं। जब गाँव

के लोग नगरों में आकर रहने लगते हैं, तो परम्परागत संयुक्त परिवार टूट जाते हैं। नगरों में आकर रहने वाले ग्रामीण को सौमित आय के रहते बड़ी मुश्किल से किराये के लिए मकान मिल पाता है। आवास की समस्या के कारण नगरों में या तो व्यक्ति को अकेला रहना पड़ता है अथवा वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता है। इससे एकाकी परिवारों को संख्या बढ़ती है। आई.पी. देसाई ने अपने अध्ययन में पाया कि जो लोग गाँव से शिक्षा पाने के लिए नगरों में आते हैं, वे फिर गाँव लौटकर नहीं जाते हैं क्योंकि व्यक्ति अपनी शिक्षा के अनुरूप नगरों में अपने लिए काम प्राप्त कर लेते हैं। इससे परिवार की आवास की संयुक्तता समाप्त हो जाती है। व्यापार, शिक्षा, नौकरी, सुरक्षा, उच्च जीवन स्तर इत्यादि कई इद्देश्यों से गाँवों के लोग नगरों में आते हैं। इससे संयुक्त परिवारों का विभाजन हो जाता है। अधिक किराया होने के कारण प्रायः व्यक्ति नगरों में एकाकी जीवन व्यतीत करता है। इससे व्यक्तिवाद की भावना का विकास होता है। इस प्रकार नगरीकरण के कारण संयुक्त परिवारों का विघटन तथा एकाकी परिवारों को बढ़ावा मिला है।

- **यातायात व संचार साधनः** आज रेल, बस, मोटरगाड़ियाँ, हवाई जहाज इत्यादि आवागमन के साधनों के कारण लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना–जाना आसान हो या है, जबकि पहले लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में काफी कठिनाई होती थी, स्याल छोड़ पाना काफी कठिन था। व्यक्ति आजीवन संयुक्त परिवार व मूल निवास स्थान को नहीं छोड़ पाता था। लेकिन आज वही व्यक्ति शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि के कारण दूर–दूर तक आकर बसने लगा है। पहले आवश्यकताएँ व परिस्थितियाँ संयुक्त परिवार के अनुकूल थीं परन्तु माज प्रतिकूल है। यातायात व संचार के साधनों ने भौगोलिक गतिशीलता उत्पन्न कर दी है। इसी का परिणाम है कि आज परम्परागत संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं तथा नाभिक परिवार तेजी पनप रहे हैं।
- **सामाजिक सुरक्षाः** पहले संयुक्त परिवार के द्वारा ही सगे–सम्बन्धियों को सुरक्षा दान की जाती थी। विधवा, परित्यक्तता, बेरोजगार व वृद्धों का समुचित ध्यान इन परिवारों में खा जाता था, परन्तु आज विभिन्न सरकारी योजनाएँ व्यक्ति को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवा रही हैं। भविष्य निधि कोष, ग्रेच्युटी, पेंशन, बीमा योजना, दुर्घटना बीमा, विभिन्न कानून लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। एक ओर युवा पीढ़ी के लोग वृद्धों का सम्मान व भरण–पोषण करना भूलते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर अनेक सरकारी सुरक्षा योजनाओं कारण वृद्ध भी परिवार पर बोझ बनना नहीं चाहते हैं। परिणामस्वरूप परन्परागत संयुक्त परिवार विघटित होते जा रहे हैं तथा उनके स्थान पर एकाकी परिवार बनते जा रहे हैं।
- **पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति का प्रभावः** ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति के सर्म्पक में आये। धीरे–धीरे उनके जीवन–मूल्य, खान–पान, पहनावा पाश्चात्य होने लगे। पाश्चात्य जीवन दर्शन नाभिक परिवारों को प्रोत्साहन देता है। लोगों पर व्यक्तिवाद भौतिकवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। नारी शिक्षा के प्रसार के कारण स्त्रियों में स्वतंत्रता व अधिकारों के प्रति जागृति आई। पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित युवक–युवतियों में संयुक्त परिवारों के प्रति आस्था कम होती चली गई साथ ही एकाकी परिवारों के प्रति तेजी से आकर्षण बढ़ता चला गया। प्रेम–विवाह, तलाक, अर्न्तजातीय विवाह तथा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ने संयुक्त परिवारों को विघटित किया। इससे एकाकी परिवारों का प्रतिशत तेजी से बढ़ने लगा। पाश्चात्य शिक्षा–संस्कृति के प्रभाव तथा नये जीवन–मूल्यों के चलते युवाओं को संयुक्त परिवार आकर्षित नहीं कर पाये परिणामस्वरूप नाभिक परिवार तेजी से विकसित होने लगे। कई बार आवश्यकत व नवीन परिस्थितियाँ लोगों को नाभिक परिवार में रहने के लिए भी बाध्य कर देती हैं।
- **कानूनों का प्रभावः** ब्रिटिश सरकार ने 'फूट डालो, राज करो' की नीति के आधार पर शासन किया। इसी नीति को उन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संयुक्त परिवारों को विघटित करने पर भी लागू किया। 1929 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ने व्यक्ति को सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार दिया, चाहे वह संयुक्त परिवार से पृथक् ही क्यों न रहता हो। हिन्दू स्त्रियों को सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार भी दिये। संयुक्त परिवारों में सम्पत्ति साझा होती थी। नये अधिनियमों में सम्पत्ति के बँटवारे के प्रावधान ने संयुक्त परिवार की आधारभूत विशेषता

(सामान्य सम्पत्ति) को ही बदल दिया। इसने एकाकी परिवारों की संख्या बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। 'बाल–विवाह निरोधक अधिनियम–1929' तथा 'हिन्दू–विवाह अधिनियम–1955' ने संयुक्त परिवारों को एकाकी परिवारों में परिवर्तित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय–समय पर सरकार द्वारा ऐसे अधिनियम पारित किये गये हैं, जिन्होंने संयुक्त परिवारों को एकाकी परिवारों में बदलने में सहायता की है। आयकर से बचने के लिए भाइयों के मध्य सम्पत्ति का विभाजन दिखाया जाता रहा, जो कालान्तर में संयुक्त परिवारों के विघटन का सूत्रधार बन गया। 'हिन्दू– विवाह अधिनियम' ने परिवार की सम्पत्ति में महिलाओं को भी अधिकार दे दिया। इसके कारण भी संयुक्त परिवार विघटित होने लगे हैं तथा एकाकी परिवार बनने लगे हैं।

- **परिवार के कार्यों का हस्तान्तरणः** पहले परम्परागत संयुक्त परिवारों द्वारा जिन कार्यों को किया जाता था, वही कार्य आज विभिन्न संस्थाओं व समितियों द्वारा किये जाने लगे हैं। शिक्षा, मनोरंजन, समाजीकरण, व्यवसाय, खाने–पीने की वस्तुएँ इत्यादि की व्यवस्था आज अन्य संस्थाओं द्वारा की जाने लगी हैं। इससे संयुक्त परिवारों के महत्त्व व आवश्यकता में कमी आई है। व्यक्तित्व के विकास, स्वतंत्रता की चाहत इत्यादि के कारण एक ओर संयुक्त परिवार अनुपयुक्त प्रतीत होने लगे, तो दूसरी ओर बच्चों के उचित पालन–पोषण तथा स्वयं के सुख की खातिर एकाकी परिवार उचित महसूस होने लगे। आज संयुक्त परिवार के परम्परागत कार्यों को अन्या पूरा किया जा सकता है।
- **पारिवारिक कलह व झगड़ेः** संयुक्त परिवारों में अनेक सदस्य साथ–साथ रहते हैं जिनमें परस्पर झगड़े होते रहते हैं। कर्वे ने तो यहाँ तक लिखा है कि संयुक्त परिवारों में भाइयों के परिवारों में आये दिन महाभारत का युद्ध होता रहता है। परिवार की स्त्रियों में काम तथा बच्चों को लेकर झगड़े एवं कहासुनी होती रहती है। बच्चे परस्पर लड़ते हैं तो बड़ों में भी झगड़े हो जाते हैं। संयुक्त परिवारों में होने वाले इन झगड़ों का एक ही निराकरण है–एकल या नाभिक परिवार, अतः पारिवारिक तनाव व झगड़ों से बचने के लिए लोग एकल परिवारों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं।

संयुक्त परिवारों का बदलता स्वरूपः निरन्तरता एवं परिवर्तन

आज प्रत्येक व्यक्ति की महत्त्वाकांक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं। हर कोई सम्पन्न तथा उच्च जीवन स्तर का जीवनयापन करना चाहता है। इसमें अनेक कारण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। परिवार की दिशा पर भी इनका प्रभाव पड़ा है। इनसे संयुक्त परिवारों की संरचना व स्वरूप परिवर्तित होता जा रहा है जिसे अग्र बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हैः

- **लघु आकारः** परम्परागत संयुक्त परिवार बड़े आकार वाले होते हैं जिनमें दो या तीन से अधिक पीढ़ियों के लोग साथ–साथ निवास करते हैं। वर्तमान में परिवारों का आकार छोटा होता जा रहा है जिनमें एक पीढ़ी अर्थात् पति, पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे साथ–साथ रहते हैं। इसका कारण यही है कि विवाह होते ही व्यक्ति उच्च जीवन स्तर चाहता है। वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा तथा सभी सुविधाएँ देना चाहता है। इस कारण वह अपने माता–पिता के साथ रहना पसन्द नहीं करता है।
- **पृथक निवास–स्थानः** शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी इत्यादि कारणों से व्यक्ति को अपने मूल स्थान से दूर अन्यत्र रहना पड़ता है। कुछ लोग अपने माता–पिता के साथ न रह पाने के कारण भी पृथक् रहना पसन्द करते हैं। इसमें युवा पीढ़ी के लोग बुजुर्ग तथा पड़ोसियों को महत्त्व नहीं देते। हैं। सगे–सम्बन्धियों के साथ उनके सम्बन्ध व आत्मीयता कम हो जाती है। संयुक्त परिवारों में जो नियंत्रण रहता है वह भी समाप्त हो जाता है। आज व्यक्ति परिवार के बाहर किसी भी सम्बन्ध को स्वीकार नहीं करता है।
- **स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तनः** संयुक्त परिवारों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। उनका कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी तक सीमित होता है। बच्चों का जन्म, पालन–पोषण, खाना बनाना इत्यादि उसके कार्य होते हैं। उनके वैधानिक अधिकार भी सीमित थे। शिक्षा के प्रचार–प्रसार के कारण आज स्त्रियों की स्थिति में आशातीत परिवर्तन आये हैं। व्यवसाय, नौकरी इत्यादि के कारण उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत

हुई है। उनमें स्वावलम्बन व आत्मनिर्भरता की. भावना आई है। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिले हैं। आज स्त्रियाँ परिवार के व बाहर के दोनों उत्तरदायित्वों को बखूबी निभा रही हैं, इससे पुरुषों का प्रभुत्व कम हुआ है। आय अर्जित करके स्त्रियाँ परिवार को उन्नत बनाने में सहायक हो रही हैं।

- **विवाह के स्वरूप में परिवर्तनः** संयुक्त परिवारों में विवाह सम्बन्धों का निर्धारण माता–पिता तथा वृद्ध पीढ़ी के सदस्यों द्वारा किया जाता था, परन्तु आज युवक–युवतियाँ स्वयं जीवनसाथी का चुनाव करने लगे हैं। बाल–विवाह समाप्त होते जा रहे हैं। वयस्क व शिक्षित होकर तथा रोजगार प्राप्त करके युवक–युवतियाँ विवाह करने लगे हैं। इसके कारण विलम्ब– विवाह, प्रेम–विवाह तथा अर्न्तजातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। विवाह का अर्थ दो परिवारों में सम्बन्ध न रहकर दो व्यक्तियों तक सीमित होता जा रहा है। प्रायः युवक–युवतियाँ अपने माता–पिता की स्वीकृति से विवाह करते हैं, परन्तु इसमें भी कभी–कभी स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। विवाह के बाद नव–दम्पती अपनी पृथक् गृहस्थी बसाने लगे हैं।
- **पारिवारिक सम्बन्धों में परिवर्तनः** संयुक्त परिवारों में सदस्यों के मध्य प्रेम व आत्मीयता के सम्बन्ध पाये जाते थे। ''एक सबके लिए, सब एक के लिए'' के सिद्धान्त के आधार पर परिवार के सभी सदस्य बँधे होते थे लेकिन आज परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध केवल नौपचारिक बन गये हैं। सदस्य अपनी पत्नी व बच्चों तक सोमित रह गये हैं। आत्मीयता व निष्ठता कमजोर पड़ती जा रही है। अभी तक संयुक्त परिवारों में सम्पत्ति, रसोईघर, निवास, पूजाघर, एक था परन्तु आज वह अलग–अलग हो गया है। 'हम' की भावना के स्थान पर व्यक्तिवादी भावना बढ़ती जा रही है।
- **मुखिया की स्थिति में परिवर्तनः** संयुक्त परिवारों में मुखिया सर्वेसर्वा होता था। उसकी आज्ञा से ही परिवार के सभी निर्णय होते थे लेकिन आज युवा पीढ़ी वृद्ध पीढ़ी को महत्त्व नहीं देती। युवक–युवतियाँ महत्त्वपूर्ण निर्णय स्वयं कर लेते हैं। पारिवारिक मूल्यों में बदलाव आ रहा है। पहले व्यक्ति की पारिवारिक सदस्यता महत्त्वपूर्ण होती थी, न कि उसके कार्यों या व्यवसायों को महत्त्व दिया जाता था लेकिन आज व्यक्ति का पद प्रतिष्ठा महत्त्वपूर्ण बन गई है। बड़ों के निर्णय को मानना युवा पीढ़ी के लिए आवश्यक नहीं रह गया है।

संयुक्त परिवार के कार्यों में परिवर्तन

संयुक्त परिवारों के कार्यों में भी आज संरचना के साथ–साथ परिवर्तन आने लगे हैः

- **शिक्षा व संस्कृति सम्बन्धी कार्यों में परिवर्तनः** पहले परम्परागत संयुक्त परिवारों द्वारा बच्चों के समाजीकरण, शिक्षा, परम्पराओं, मूल्यों, पारिवारिक रीति–रिवाजों तथा संस्कृति सम्बन्धी कार्यों को किया जाता था, लेकिन आज शिक्षा तथा समाजीकरण सम्बन्धी कार्य शिक्षण संस्थाओं के द्वारा किये जाने लगे हैं। ज्यों–ज्यों शिक्षा का प्रचार–प्रसार होता जा रहा है, त्यों–त्यों अनेक परम्पराएँ व रीति–रिवाज अमान्य होते जा रहे हैं। इस प्रकार परम्परागत संयुक्त परिवार के कार्यों का हस्तान्तरण विभिन्न संस्थाओं को हो गया है।
- **धार्मिक कार्यों में परिवर्तनः** पहले ग्रामीण संयुक्त परिवारों में पूजा–पाठ, यज्ञ–हवन, व्रत–उपवास, भजन–कीर्तन इत्यादि को विशेष महत्त्व दिया जाता था। परिवार धार्मिक कार्यों की स्थली होते थे, जो परिवार के बच्चों व युवाओं पर अनुकूल प्रभाव डालते थे। स्त्रियाँ घरों में विभिन्न त्यौहार, व्रत, उत्सव तथा धार्मिक कार्य किया करती थीं लेकिन आज धार्मिक क्रिया– कलापों का महत्त्व तेजी से घटता जा रहा है। न तो पूजा–पाठ, व्रत–उत्सव के प्रति लोगों में श्रद्धा रही है और न ही उनके पास इनके लिए समय ही रहा है। विभिन्न धार्मिक त्यौहार अब मात्र औपचारिकता बनकर रह गये हैं। नई पीढ़ी के लोग धार्मिक कार्यों को अव्यावहारिक मानने लगे हैं।
- **आर्थिक कार्यों में परिवर्तनः** परम्परागत ग्रामीण संयुक्त परिवार अपने सदस्यों कीआर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते आये हैं। इन परिवारों में श्रम–विभाजन नगण्य था। किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में निपुण बनाया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, व्यवसाय का निर्धारण पारिवारिक स्थिति के अनुसार होता था परन्तु आज समयानुसार स्थिति में परिवर्तन आ गया है। आज सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को आर्थिक

सुरक्षा प्रदान की जाने लगी है। विभिन्न व्यवसायों के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। पहले जहाँ परिवार ही उत्पादन व उपभोग की इकाई था आज वही परिवार केवल उपभोग की इकाई बनकर रह गया है।

- **मनोरंजनात्मक कार्यों में परिवर्तनः** विवाह, त्यौहार, नृत्य, संगीत, उत्सव इत्यादि परम्परागत संयुक्त परिवारों में मनोरंजन के महत्त्वपूर्ण साधन होते थे। आज इनके स्थान पर सिनेमा, नाट्यघर, रेडियो, टेलीविजन, पत्र–पत्रिकाएँ, क्लब इत्यादि मनोरंजन के साधन बन गये हैं। पहले हँसी–मजाक को मनोरंजन के लिए अच्छा माना जाता था परन्तु आज धन खर्च करके मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है।

संयुक्त परिवार का विघटन

वर्तमान युग में संयुक्त परिवारों का बड़ी तीव्र गति से विघटन हो रहा है। यह बात जनगणना रिपोर्ट से सिद्ध होती है। भारत के गाँवों में प्रत्येक तीन परिवारों में एक परिवार ऐसा है जिसकी सदस्य संख्या तीन या अधिक है। रिपोर्ट के शब्दों में, छोटे घरों का इतने अधिक अनुपात में होना इस बात का सूचक है कि अब परिवार देश की परम्परागत व्यवस्था के अधिक संयुक्त नहीं रहते। संयुक्त परिवार से अलग रहने तथा पृथक् घर स्थापित करने की प्रवृत्ति प्रसार नगरों की अपेक्षा गाँवों में संयुक्त परिवारों का विघटन अधिक तीव्र गति से हो रहा है।

संयुक्त परिवार के विघटन के कारण

संयुक्त परिवार के विघटन के कारणों के सम्बन्ध में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार संयुक्त परिवार के विघटन का सर्वप्रमुख कारण औद्योगिक क्रान्ति और इसके परिणाम हैं, जबकि बोटोमोर (Bottomore) का कथन है कि संयुक्त परिवार का विघटन केवल औद्योगीकरण से सम्बन्धित विभिन्न दशाओं का ही परिणाम नहीं है बल्कि इसका प्रमुख कारण यह है कि संयुक्त परिवार आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल सिद्ध हो चुके हैं।

- **औद्योगिक क्रान्तिः** संयुक्त परिवारों के विघटन का एक मुख्य कारण औद्योगिक क्रान्ति है। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ से भारत में औद्योगीकरण का बड़ी तीव्र गति से विकास हुआ। इसके फलस्वरूप कारखानों और उद्योग–धन्धों में वृद्धि हुई जिससे आमदनी के साधन बढ़े। गाँवों के लोग अपने परम्परागत उद्योग–धन्धों को छोड़कर नगरों में मेहनत–मजदूरी या कारखानों में नौकरी करने आने लगे। इससे गाँवों में संयुक्त परिवार प्रथा पर बड़ा गहरा आघात पहुँचा। मध्यम और उच्चवर्ग के लोग नौकरियों तथा व्यापार के कामों से नगर में रहते हैं। नगरो में आवास की बड़ी जटिल समस्या होती है और रहन–सहन, खान–पान भी काफी महँगा पड़ता है, इसलिए व्यक्ति एकाकी परिवार की बात सोचते हैं। औद्योगीकरण के कारण स्त्रियों को भी कारखानों में कार्य मिलने लगा, जिससे वे सजग हुईं और यह माँग करने लगीं कि उनका भी पुरुषों के समान परिवार में आदर–सम्मान होना चाहिए, पर परिवार के कर्ता व अन्य वयोवृद्धों ने यह माँग स्वीकार नहीं की। फलतः स्त्रियों ने अपने पति तथा बच्चों के साथ अलग परिवार बसाने का प्रयत्न प्रारम्भ किया और अपने प्रयत्न में वे काफी सीमा तक सफल रहीं।
- **नगरीकरणः** नगरीकरण के कारण भी संयुक्त परिवारों का विघटन बड़ी तेजी से हुआ। नगरों में कारखानों, बड़े उद्योग–धन्धों तथा व्यावसायिक सुविधाओं की अधिकता के कारण लोग गाँव छोड़कर नगरों में आते गये और यहीं बसते गये। जो व्यक्ति एक बार गाँव से शहर में आ जाता है वह शहरी जीवन के रहन–सहन, मनोरंजन के आधुनिक साधन, आदि के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि उसकी वापस गाँव जाने और संयुक्त परिवार में रहने की इच्छा नहीं होती। नगरीकरण के कारण शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है जिससे मकानों की समस्या गम्भीर होती जा रही है। इस कारण शहरों में संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। यातायात के साधनों में वृद्धि यातायात के साधनों का पर्याप्त विकास होने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सहज हो गया। इससे लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई। लोग संयुक्त परिवार को छोड़कर दूर–दूर स्थानों पर कार्य करने के लिए जाने लगे।
- **जनसंख्या में वृद्धिः** भारत में बढ़ती जनसंख्या भी संयुक्त परिवारों के विघटन का एक महत्त्वपूर्ण कारण है।

गाँवों में जनसंख्या की वृद्धि के फलस्वरूप कृषि योग्य भूमि पर निरन्तर दबाव बढ़ता गया और धीरे– धीरे परिवार सभी सदस्यों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते गये। फलस्वरूप बहुत से व्यक्तियों को को संयुक्त परिवार की सदस्यता को छोड़कर अन्य स्थानों पर व्यवसाय या नौकरी आदि करने के लिए जाना आवश्यक हो गया और इस प्रकार संयुक्त परिवारों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया।

- **स्त्रियों में शिक्षा का प्रसारः** वर्तमान युग में स्त्रियों में शिक्षा का पर्याप्त प्रसार होने से उनमें सामाजिक जागरूकता बढ़ी है। फलस्वरूप वे संयुक्त परिवार के मनमाने शोषण और अमानवीय व्यवहार को अनुचित मानने लगीं और अपने पतियों को अलग घर बसाने के लिये प्रोत्साहित करने लगीं। के.टी. मर्चेंट ने संयुक्त परिवार के विषय में आधुनिक युवतियों से जो सम्मतियाँ प्राप्त की हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि सास के अत्याचार, पारिवारिक क्लेश तथा परिवार की दासता आदि के प्रति विद्रोह के कारण आज की शिक्षित नवयुवती संयुक्त परिवार को बिल्कुल पसन्द नहीं करती है। इस कारण संयुक्त परिवार का निरन्तर ह्रास होता जा रहा है।
- **व्यक्तिवादः** पाश्चात्य संस्कृति तथा आधुनिक शिक्षा के फलस्वरूप व्यक्तिवादी भावना का विकास हुआ जिसके फलस्वरूप आज के नवयुवक अपने पसीने की गाढ़ी कमाई औरों पर व्यय नहीं करना चाहते हैं और विशेषकर स्त्रियाँ अपने पति की कमाई पर अपना पूर्ण अधिकार चाहती हैं। वस्तुतः व्यक्तिवाद ही संयुक्त परिवार के टूटने का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण रहा है।
- **पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभावः** संयुक्त परिवार प्रथा को समाप्त करने में पाश्चात्य शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पाश्चात्य शिक्षा से देश में पाश्चात्य संस्कृति का विकास हुआ। पाश्चात्य संस्कृति के फलस्वरूप विचारों, मनोवृत्तियों और जीवन–दर्शन में परिवर्तन आया। समष्टिवाद के स्थान पर व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। आत्मसयंम, त्याग तथा आज्ञापालन आदि का महत्त्व घट गया और स्वच्छन्दता, समानता, अधिकार, आग्रह तथा प्रदर्शन की प्रवृत्ति का विकास हुआ। ये सभी बातें संयुक्त परिवार की स्थिरता के लिये घातक सिद्ध हुईं। अतः पाश्चात्य संस्कृति के फलस्वरूप पनपी व्यक्तिवाद की भावना के कारण एक आर तो संयुक्त परिवार में सम्पत्ति का विभाजन प्रारम्भ हुआ और दूसरी ओर स्थान परिवर्तन को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। इसी के फलस्वरूप एकाकी परिवारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई।
- **परिवार का कलहपूर्ण वातावरणः** संयुक्त परिवारों का वातावरण प्रत्येक समय बड़ा कलहपूर्ण बना रहता था। छोटी–छोटी बातों को लेकर स्त्रियों में कहा–सुनी चलती रहती थी। वे बच्चों को एक–दूसरे के विरुद्ध भड़काती और लड़ाती रहती थीं। अन्ततः इस परिस्थिति के कारण एकाकी परिवारों की स्थापना में वृद्धि हुई।
- **धन का महत्त्वः** आधुनिक युग में धन का महत्त्व बढ़ गया है। मनुष्य के गुण, सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन आदि धन के आधार पर किया जाता है। इसके फलस्वरूप आधुनिक युग में व्यक्ति को समाज में अपनी एक स्थिति बनाने के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति भी जोड़नी पड़ती है और प्रदर्शन के लिए काफी धन का अपव्यय भी करना पड़ता है। अतः आज के शिक्षित युवक व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाने और समाज में अपनी एक पृथक् स्थिति बनाने के उद्देश्य से संयुक्त परिवार से अलग होकर रहना पसन्द करने लगे हैं।
- **वैधानिक कारणः** ब्रिटिश शासन में और स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त अनेक ऐसे कानून बने जिनसे संयुक्त परिवारों को गहरा धक्का पहुँचा। 1929 में पास हुए उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा उन व्यक्तियों को भी पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार प्रदान किया गया, जो संयुक्त परिवार से अलग होकर एकाकी परिवार बसाकर या अकेले रहने के इच्छुक थे। 737 में बने 'हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति अधिकार कानून' के बाद स्वियों को अत्यधिक दवाकर रखना सम्भव नहीं रह गया। 1929 में ''शारदा एक्ट'' पास हो जाने से बाल–विवाह पर रोक लगा दी गई, जिसका संयुक्त परिवार की स्थिरता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इन कानूनों के अतिरित 'हिन्दू विवाह और विवाह–विच्छेद अधिनियम' आदि अनेक ऐसे कानून बने जिसने संयुक्त परिवार को सम्पत्ति को छिन्न–भिन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः इन वैधानिक प्रयत्नों के फलस्वरूप संयुक्त परिवारों का तेजी से विघटन होता गया।

निष्कर्ष

संयुक्त परिवारों का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन यह अभी भी परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और सामाजिक समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिकीकरण और शहरीकरण के कारण संयुक्त परिवारों का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन यह परिवर्तन संयुक्त परिवारों के मूल्यों और सिद्धांतों को कमजोर नहीं करेगा। संयुक्त परिवारों में परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत होते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण और शहरीकरण के कारण यह संबंध कमजोर हो रहे हैं। संयुक्त परिवारों में परिवार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी सदस्यों की भागीदारी होती है, लेकिन आधुनिकीकरण और शहरीकरण के कारण यह प्रक्रिया बदल रही है।

संदर्भ सूची

1. कर्वे, इरावती (1953) *किन्सिप ऑर्गनाइज इन इंडिया,* डिकॉन कॉलेज मोनोग्राम, पूना, पृ. 49।
2. देसाई, आई.पी.(1956) द ज्वाइन्ट फैमिली इन इंडियाः एन एनालाइसिस, *सोशल बुलेटिन,* वाल्यूम 5, नं0 2, सितम्बर, पृ. 144—156।
3. मुखर्जी, रामकृष्ण, नारायण, डी. (अनु०) (1975) *एक्प्लोरेसन इन द फैमिली एण्ड अदर ऐसेज,* थैकर एण्ड कम्पनी, बम्बई, पृ. 1—64 8।
4. देसाई, आई.पी. (1964) *सम एसपेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ,* एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, पृ. 32।
5. देसाई, आई.पी. (1956) द ज्वाइन्ट फैमिली इन इंडियाः एन एनालाइसिस, *सोशल बुलेटिन,* वाल्यूम 5, नं. 2, सितम्बर, पृ. 162।
6. जैन, शोभिता (1996) *'भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी',* रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 122।
7. शर्मा, जी. एल. (2015) *'सामाजिक मुद्दे',* रावत पब्लिकेशन्स, पृ. 3—18।
8. महाजन एवं महाजन (2009) *'सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप, मेंरिज एण्ड फैमिली,'* विवेक प्रकाशन पृ. 188—217।
9. मिश्रा, राजन (2006) *'नातेदारी, विवाह एवं परिवार',* एस. आर. साइन्टिफिक पब्लिकेशन्स पृ. 95—129।
10. Kumari Suman, (2020) : "Sanyukt Parivar Ka Svaroop Evan Parivartan Kee Prakrti", *International Journal of Political Science and Governance* 2020; 2(2), p. 94-98.

****